जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2026 के अपरान्ह् 01:30 बजे से नारकोटिक्स (NCORD) से संबंधित बैठक

जनपद सम्भल

चर्चा के मुख्य बिन्दु

क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, क्षेत्राधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जनपद सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर मुखबिरी तंत्र विकसित करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्रवर्तन मूलक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में –

व्यापार कर सम्भल, केन्द्रीय माल और सेवाकर, सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग सम्भल रोड चेकिंग के दौरान विशेषकर राज्यीय/अन्तर्राज्यीय गांजे/मादक पदार्थों की तस्करी कर जनपद में दाखिल होने वाले मुख्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनो की सघन जाँच किये जाने के सम्बन्ध में –

चिकित्सा विभाग एवं औषधि प्रशासन– कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या– ड्रग **/8322/** लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। समस्त दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स दवाई न दिये जाने एवं प्रिस्क्रिप्शन पर भी एक सप्ताह से अधिक की दवाई न दिये जाने तथा ग्राहक की प्रिस्क्रिप्शन व आई0डी0 लेकर मनःप्रभावी औषधि की बिक्री करने हेतु निर्देशित किया जाये। थोक एवं फुटकर विक्रयकर्ता मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस, आबकारी एवं औषधि प्रशासन विभाग सतत निगरानी रखने तथा मनःप्रभावी औषधि यथा कोडीन **(Codeine),** ऐल्प्रक्स **(alprax)** आदि की चैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में –

वन विभाग एवं कृषि विभाग नारकोटिक्स पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने, जिले में अफीम या भांग की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में –

जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग एक युद्ध नशे के विरूद्ध के तहत जनपद में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच ड्रग्स एवं नशीली दवाओं के दुरूपयोग के संबंध में प्रत्येक विद्यालय में एक **"युद्ध नशे के विरूद्ध"** विषय पर निबन्ध, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक शनिवार को तथा प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर बच्चों को नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के विरूद्ध प्रतिज्ञा दिलाते हुए उक्त के सेवन से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

समाज कल्याण– प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा **COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.)** अधिनियम लागू कराया गया है एवं सहायता हेतु टोल फ्री नं. जारी किया गया है तथा "प्रहरी" नाम से वालंटियर ग्रुप बनाया गया है। शासनादेश में राज्य विश्वविधालय /डिग्री कालेज के 100 मीटर की सीमा में कोई तम्बाकू की दुकान न हो। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने तथा सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के दुरूपयोग के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करने एवं शिक्षक वर्ग को भी सभी प्रकार के नशे की मूलभूत जानकारी देकर प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल–किसी भी स्कूल/कालेज के पास 100 मी0 के दायरे में तम्बाकू को प्रतिबन्धित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबन्धित मादक पदार्थों का विक्रय एवं सेवन न हो सके, इस हेतु सघन जांच, निरीक्षण एवं आकस्मिक चेकिंग करायी जाये।

बिन्दु संख्या–1

पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 22.04.2026 व 15.05.2026 को ''ऑपरेशन दहन'' के तहत पंजीकृत कुल 49 अभियोगों में बरामद 1148.52 मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण कराया गया। मादक पदार्थों की तस्करी के सम्बन्ध में समस्त उपस्थित सदस्यगणों से व्यापक विचार–विमर्श किया गया निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित विभाग द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर, सघनता से रोड चेंकिग की जाये। अवैध मादक पदार्थो के सम्बन्ध में प्रभावी मुखबिरी तन्त्र विकसित करते हुए प्राप्त सूचना से पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग को तुरन्त अवगत करायें, जिससे तत्काल नारकोटिक्स ड्रग्स/मादक पदार्थों आदि की तस्करी में संलिप्त सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही पुलिस विभाग/आबकारी विभाग/राज्य व्यापार (GST))

<u>अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–1</u>

<u>पुलिस विभाग</u>

दिनांक: 17.06.2026 को ऑपरेशन दहन' के तहत नशे के विरुद्ध सम्भल पुलिस ने जनपद के 05 थानों पर पंजीकृत 20 अभियोगो में बरामद 12343.74 किलोग्राम कुल (अनुमानित मूल्य 185498500 ₹) से अधिक मादक पदार्थों का किया विनिष्टीकरण जनपद सम्भल |

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में, नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने हेतु जनपद सम्भल में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन दहन' के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण कार्यवाही संपन्न हुई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल महोदय श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में, जनपद के विभिन्न थानों द्वारा जब्त किए गए भारी मात्रा में मादक पदार्थों को आज विधिवत नष्ट किया गया। जनपद के थाना बहजोई , हयातनगर, कैलादेवी,बनियाठेर, जी0आर0पी0 चन्दौसी से संबंधित कुल 20 अभियोगों में न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किए गए 12343.74 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य 185498500 ₹) अट्ठारह करोड़ चव्वन लाख अट्ठानवे हजार पांच सौ रुपये, अवैध मादक पदार्थो (डोडा, नशीला पाउडर नशीली गोलिया,चरस आदि) का विनिष्टीकरण किया गया।विषाक्त पदार्थों के सुरक्षित निस्तारण हेतु निर्धारित मानकों का पालन करते हुए यह कार्यवाही संयंत्र प्रबंधक श्री पंकज कुमार पुनः चक्रण प्राइवेट लिमिटेड बबराला जनपद संभल व उनकी टीम द्वारा संपन्न करायी गयी। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले 'इंसीनरेटर' के माध्यम से इन पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया।

संपूर्ण विनिष्टीकरण प्रक्रिया श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) सम्भल श्री मनोज कुमार रावत एवं क्षेत्राधिकारी लाईन श्रीमति स्तुति सिंह की उपस्थिति एवं गठित ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में यह कार्यवाही पारदर्शी तरीके से फोटो एवं विडियोग्राफी कराकर सुरक्षा उपायों सहित पूरी प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई । प्रभारी नार्कोटिक निरीक्षक कश्मीर सिंह यादव, का0 मृगनेन्द्र प्रताप सिंह,तथा सम्बन्धित थानों के हेडमोहर्रिर भी उपस्थिति रहे । 'ऑपरेशन दहन' के माध्यम से सम्भल पुलिस यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि जनपद में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार को किसी भी कीमत पर फलने-फूलने नहीं दिया जाएगा। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत भविष्य में भी इस प्रकार की निस्तारण कार्यवाहियां जारी रहेंगी।

FAISAL

रिपोर्ट जनपद संभल

श्रीमान जी जनपद संभल से ऑपरेशनदहन के तहत अब तक विनिष्टीकरण किये गये मादक पदार्थो का विवरण निम्नवत है।

क्र0स0	कुल अभियोग	कुल माल किग्रा0	अनुमानित मूल्य	विनिष्टीकरण का दिनांक
1	24	42	8628000	22.04.2026
2	15	91.280	9372500	15.05.2026
3	10	1015.24	20828600	28.05.2026
कुल	**49**	**1148.52**	**38829100**	-

प्रभारी नारकोटिक्स सैल
जनपद सम्भल।

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** उ0नि0 सूरज सिंह
(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):**
(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तिथि / वर्ष): 1991
(d) **Nationality** (राष्ट्रीयता): भारत
(e) **UID No.** (यूआईडी सं.):
(f) **Passport No.**(पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address** (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ए0एन0टीएफ यूनिट लखनऊ,महानगर,लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ),उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	ए0एन0टीएफ यूनिट लखनऊ,महानगर,लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ),उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):
(j) **Phone number** (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-8808644449

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मदनपाल		पिता का नाम : हरिचन्द	1. ग्राम लखोरी ,नखासा,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत
2	राजपाल		पिता का नाम : तोताराम	1. ग्राम बिटोली,फतेहगंज वेस्ट, बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत
3	मो0 नाजिम		पिता का नाम : अब्दुल रशीद	1. ग्राम कालाखेडा,नखासा,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत
4	शोएब		पिता का नाम : शफीक चौधरी	1. नौदायल,सहसवान,बदायूं,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल फर्द.......फर्द बरामदगी 09 अदद प्लास्टिक की नीले रंग की पीपा(ड्रम) व 01 एक अदद प्लास्टिक की सफेद पीपा(ड्रम) जिसमें अवैध एसीटिक एनहाईड्राइड प्रीकर्सर जिसका कुल वजन मय पीपा(ड्रम) सहित 628.65 किलो ग्राम व डेक्कन (100 अदद आउट डोर एसी व 100 अदद कम्प्रैसर) कुल बक्स 200 अदद व 01 अदद बंद बडी कंटेनर ट्रक व 04 अदद मोबाईल फोन व 2580/- रूपये नकद मय गिरफ्तारी 04 नफर अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 9(a)/25(a)/60 एनडीपीएस एक्ट थाना कैलादेवी जनपद संभल -दिनांक- 04.06.2026 को मैं उ0नि0 सूरज सिंह मय हमराह हे0का0 संगम पटेल, के मय सरकारी वाहन यू0पी0-16जी1346 क्षेत्रान्तर्गत पतारसी/सुरागरसी में रवाना था बाद पतारसी सुरागरसी यूनिट कार्यालय वापस आया तभी मुखबिर खास ए.एन.टी.एफ. यूनिट लखनऊ आकर सूचना दी कि कुछ लोग जनपद संभल क्षेत्र में दिनांक- 06/07.06.2026 को बंद बडी कंटेनर में ट्रांसपोर्ट के सामान के मध्य अवैध एसीटिक एनहाईड्राइड प्रीकर्सर छिपाकर तस्करी करने वाले हैं। यदि समय से निकला जाये तो गिरफ्तारी व बरामदगी हो सकती है।

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit** (जिला/इकाई): सम्भल
P.S. (थाना): कैला देवी **Year** (वर्ष): 2026
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0093
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 08/06/2026 00:29

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	9A
2	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	25A
3	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	60

3.(a) **Occurrence of offence** (अपराध की घटना) :

1. **Day** (दिन): रविवार **Date From** (दिनांक से): 07/06/2026 **Date To** (दिनांक तक): 07/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 8 **Time From** (समय से): 23:15 बजे **Time To** (समय तक): 23:15 बजे

(b) **Information received at P.S.** (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 08/06/2026 **Time** (समय):00:29 बजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 **Date & Time** (दिनांक और समय): 08/06/2026 00:29 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) **Direction and distance from P.S.** (थाना से दूरी और दिशा): पूर्वोत्तर, 15 किमी **Beat No.** (बीट सं.):
(b) **Address** (पता): रायपुर

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then** (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State)** (ज़िला (राज्य)):

सूचना विश्वसनीय प्रतीत होने के कारण इस सूचना को रपट सं0-07 समय-10.30 बजे अंकित करते हुए का0 राजन को टीम गठन व एवं धारा 41(2) एनडीपीएस एक्ट प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु ए.एन.टी.एफ मुख्यालय लखनऊ राजपत्रित अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन ड0 बीनू सिंह के पास भेजा गया। टीम गठन व प्राधिकार पत्र प्राप्त कर का0 राजन कुमार यूनिट लखनऊ उपस्थित आये। टीम गठन इस प्रकार है उ0नि0 सूरज सिंह, हे0का0 दिनेश सिंह, हे0का0 खालिद खाँ, हे0का0 संगम पटेल,का0 राजन कुमार ए.एन.टी. एफ यूनिट लखनऊ व का0 2816 सौरभ चौधरी, का0 मोहित कुमार, म0का0 रिजवाना ए. एन.टी.एफ यूनिट बरेली सहयोगार्थ हेतु। आज दिनांक 06.06.2026 को मुखबिर खास द्वारा पुनः एन.टी.एफ यूनिट लखनऊ आकर पूर्व में दी गयी सूचना से अवगत कराया जिसका तस्करा जीडी न0-07 समय 10.30 बजे दर्ज किया गया। पूर्व में गठित टीम व धारा 41(2) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राप्त प्रारधिकार पत्र के अनुसार मै उ0नि0 सूरज सिंह, हे0का0 दिनेश सिंह, हे0का0 खालिद खाँ, हे0का0 संगम पटेल,का0 राजन कुमार ए. एन.टी.एफ यूनिट लखनऊ मय सरकारी वाहन यूपी 16 जी 1346 मय प्राईवेट वाहन मय मुखबिर के बाहवाले रपट नं0 08 समय 11.06 बजे रवाना होकर सुरागरसी पतारसी करते हुए जनपद संभल व जनपद अमरोहा क्षेत्रान्तर्गत रवाना हुआ तथा पूर्व में गठित टीम में नामित ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली के कर्मचारीगण का0 2816 सौरभ चौधरी , का0 मोहित कुमार, म0 का0 रिजवाना की मांग की गयी। इस पर प्रभारी यूनिट बरेली द्वारा बताया गया कि आप लोग पहुँचे मैं उपरोक्त कर्मचारी गण को रवाना कर रहा हूँ। जो आपसे जनपद संभल में मिलेगें। समय लगभग 19.20 बजे जनपद संभल क्षेत्र में पहुँचे तथा सहयोगार्थ टीम का0 2816 सौरभ चौधरी, का0 मोहित कुमार , म0 का0 रिजवाना जनपद संभल में मिले जिन्हें साथ लिया गया तथा मुखबिरी सूचना से अवगत कराया गया व इलेक्ट्रनिक तथा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही करते हुए जनपद संभल व अमरोहा के आसपास के क्षेत्रों में पतारसी/सुरागरसी की जा रही थी कि तभी मुखबिर खास जो साथ में मौजूद है उसके द्वारा विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि जो तस्करी आज होने वाली थी वह दिनांक-07.06.2026 को शाम के समय गंगा एक्सप्रैस-वे आसपास कभी भी हो सकती है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्ववास कर जनपद संभल क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर खास द्वारा पुनः अपने विश्वसनीय सूत्रों से डील होने वाली जगह के संबंध में ज्ञात कर बताया गया कि यह डील शाम के समय ग्राम रायपुर संभल-गवा मार्ग पर स्थित जियो पेट्रोल पम्प के आसपास होने वाली है। इस सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस बल एक दूसरे की जामातलाशी ले दे कर इतमिनानन किए कि किसी के पास घटना से संबधित कोई नाजायज वस्तु बरामद न होने पर व संबंधित क्षेत्र के संबंध में आने जाने वाले रहागीरों से पूछा गया तो बताया गया कि साहब यह क्षेत्र थाना कैलादेवी थाने के अंतर्गत आता है। इस पर मुझ उ0नि0 द्वारा थाना प्रभारी कैलादेवी श्री सचिन के सीयूजी न0-9454405121 पर वास्ते सहयोगार्थ पुलिस बल की मांग की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं चौकी प्रभारी

खिरनी को बता रहा हूँ वह आपको वहीं मिलेगें कुछ देर उपरान्त चौंकी प्रभारी खिरनी श्री रामकुमार सिंह व का0 राणा मिले,जिन्हें मुखबिरी सूचना से अवगत कराया गया व पुनः एक बार फिर हम पुलिसजनों द्वारा एक दूसरे की जामातलाशी ली दी गयी। किसी के पास कोई नाजायज वस्तु बरामद न होने पर जियो पेट्रोल पंप से लगभग 100 मीटर संभल की तरफ प्राकृतिक एवं कत्रिम आड़ लेकर खडे होकर निगरानी की गयी। आने जाने वाले लोगो से गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया किन्तु कोर्ट कचहरी के डर व भलाई बुराई का वास्ता देकर मौके से हट बढ गये। काफी देर इन्तजार करने के बाद एक बंद बडी कंटेनर ट्रक जो मेरठ की तरफ से आते हुए गंगा एक्सप्रैस-वे से संभल की तरफ जियो पेट्रोल के पास आकर रुका तभी मुखबिर खास द्वारा गंगा एक्सप्रैस-वे से संभल की तरफ जियो पेट्रोल पंप के पास आकर रूकने वाली बंद बडी कंटेनर ट्रक की तरफ इशारा कर बताया गया कि साहब इसी गाडी में ट्रांसपोर्ट सामान के बीच में एसीटिक एनहाईड्राईड छिपाकर तस्करी होने वाली है। इतना बताकर मुखबिर खास मौके से हट बढ़ गया। इस सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस बल उक्त खड़ी बंद बडी कंटेनर ट्रक की तरफ बढ़े तथा एक बारगी दबिश देकर अपनी गाडियों को आगे-पीछे लगाकर कंटेनर को चारो तरफ से घेर लिया गया व ड्राइविंग सीट पर बैठे एक व्यक्ति व बगल में तीन व्यक्ति बैठे थे जिनमें से दो व्यक्ति उतरकर भागने का प्रयास किये जिन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया तथा अपनी व अपनी टीम का परिचय दिया गया कि हम लोग ए.एन.टी.एफ टीम लखनऊ व बरेली व थाना कैलादेवी की संयुक्त टीम है हमे सूचना है कि आप लोगो द्वारा ट्रांसपोर्ट के समान का सहारा लेकर मादक पदार्थ (एसीटिक एनहाईड्रइड की तस्करी करने वाले है। आप लोग चाहें तो हम पुलिस बल व हमारे वाहनों की तलाशी ले सकते है। इस पर उनके द्वारा विश्वास जताते हुए एक स्वर में कहा कि हमें आप लोगो पर पूरा भरोसा है हम आप लोगों की तलाशी नहीं लेगें। तत्पश्चात ड्राईविंग सीट पर बैठे व्यक्ति व बगल में बैठे एक व्यक्ति को ट्रक से उतारा गया। उपरोक्त पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो ड्राईविंग सीट के बगल में बैठे पहले व्यक्ति ने अपना नाम मदन पाल पुत्र हरिचन्द निवासी ग्राम लकोरी थाना नखास जनपद संभल उम्र लगभग 49 वर्ष ड्राइविंग सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राजपाल पुत्र तोता राम निवासी ग्राम बिटौली थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली उम्र लगभग 42 वर्ष बताया तथा भागने वाले तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मौ0 नाजिम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मो0 कालाखेडा थाना नखासा जनपद संभल उम्र करीब 45 वर्ष तथा भागने वाले चौथे व्यक्ति ने अपना नाम शोएब पुत्र स्व0 शफीक चौधरी निवासी नौदायल थाना सहसवान जनपद बदायूँ उम्र करीब 36 वर्ष बताया कडाई से भागने का कारण पूछा तो बताया कि साहब इस कंटेनर में नशीला पदार्थ एसीटिक एनहाईड्राईड ट्रांसपोर्ट के सामान के आड़ में रखकर बेचने वाले थे कि तभी आप लोगो ने पकड लिया। तत्पश्चात मुझ उ0नि0 द्वारा उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए बताया गया कि यदि आप लोग चाहें तो आपनी व्यक्तिगत तलाशी किसी नजदीकी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के

समक्ष दे सकते हैं। उस पर उपरोक्त पकड़े गये सभी चारों व्यक्तियों द्वारा सहमति जताते हुए अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने को बताया गया इस पर मुझ उ0नि0 द्वारा क्षेत्राधिकारी संभल श्री कुलदीप कुमार के सीयूजी न0-9453805413 पर जरिये दूरभाष संपर्क कर घटना से अवगत कराते हुए अंतर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु मौके पर आने का आग्रह किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं अभी क्षेत्र में ही कुछ दूरी पर हूँ मैं कुछ देर मैं आपके पास मौके पर पहुँच रहा हूं। तत्पश्चात कुछ समय बाद समय लगभग 16.25 बजे मौके पर उपस्थित आये। जिन्हें घटना के संबंध में अवगत कराया गया तत्पश्चात उनके द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों से पुनः उनका नाम पता पूछते हुए पहले व्यक्ति मदन पाल पुत्र हरिचन्द निवासी ग्राम लकोरी थाना नखास जनपद संभल उम्र लगभग 49 वर्ष,दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राजपाल पुत्र तोता राम निवासी ग्राम बिटौली थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली उम्र लगभग 42 वर्ष, तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मौ0 नाजिम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मो0 कालाखेडा थाना नखास जनपद संभल उम्र करीब 45 वर्ष, चौथे व्यक्ति ने अपना नाम शोएब पुत्र स्व0 शफीक चौधरी निवासी नौदायल थाना सहसवान जनपद बदायूँ उम्र करीब 36 वर्ष बताया तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी महोदय ने मुझ उ0नि0 को जामातलाशी लेने हेतु प्राधिकृत किया। जिस पर मुझ उ0नि0 द्वारा बारी-बारी से क्रम वार पकड़े गये व्यक्तियों की जामातलाशी ली गयी पकड़े गये पहले व्यक्ति मदन पाल उपरोक्त के पहने पैंट की बायीं जेब से एक अदद एन्ड्रईड मोबाईल ओप्पो कंपनी रंग स्काई ब्लू जिसकी IMEI चेक किया गया तो IMEI 1.867056072405230 IMEI 2.8670056072405222 व मोबाईल में पडे सिम का न0-9142020233 तथा दूसरा न0-9027740149 व शर्ट की उपरी जेब से 1310/- रुपये नकद (500*2, 200*1,50*2,10*1) दूसरे व्यक्ति राजपाल उपरोक्त के बायें हाथ में लिये एक अदद एनड्रईड मोबाईल वीवो कंपनी रंग आसमानी जिसका IMEI चेक किया गया तो IMEI 1.869342051554059 IMEI 2. 869342051554042 पडे सिम न0-9528219131 दूसरा न0-8979179138 तथा पहनी पैंट की दाहिनी जैब से 820/- रुपये नकद (500*1,200*1,100*1,20*1) तीसरे व्यक्ति मौ0 नजिम उपरोक्त के पहनी लोवर की दाहिनी जेब से एक अदद एनड्रईड रियलमी कंपनी रंग भूरा जिसकी IMEI चेक किया गया तो IMEI 1.868759072274196/08 IMEI 2. 868759072274188/08 व पडे सिम न0-9259390320 व दूसरा सिम न0-9045347196 तथा चौथे व्यक्ति शोएब उपरोक्त की जींस आगे की दाहिनी जेब से एक अदद एनड्रईड ओप्पो कंपनी रंग ग्रे जिसकी IMEI चेक किया गया तो IMEI 1.861288074313270 IMEI 2. 861288074313262 व पहने शर्ट की उपरी जेब से 450/- रुपये नकद (100*4,50*1) बरामद हुआ तथा मौके पर खड़ी बंद बडी कंटेनर ट्रक खुलवाकर देखी गयी तो उसमें एसी के डिब्बों के बीच में नीले रंग की प्लास्टिक की पीपा(ड्रम) सामने दिखाई दिया। जिसके संबंध में पकडे गये व्यक्तियों से पूछा गया तो

बताया गया कि साहब इसी में मादक पदार्थ एसीटिक एनहाईड्राईड एसी के ट्रांसपोर्ट में छिपाकर ले जा रहे थे तथा इसके उपयोग के संबंध में पूछा गया तो बताया गया कि साहब इसे स्मैक/हेरोईन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। इसे हम लोग सस्ते दाम में संयुक्त रूप से पैसा मिलाकर खरीदते हैं तथा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ऐसे ही गाडी में छिपाकर महंगे दामों में बेच देते हैं जो मुनाफा होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। तत्पश्चात बंद बडी कंटेनर के अंदर रखे हुए प्लास्टिक के पीपा(ड्रम) को पकड़े गये सभी चारों व्यक्तियों से उक्त बरामद शुदा ड्रम को नीचे उतरवाया गया तथा गिनती की गयी तो 09 अदद नीले रंग के पीपा(ड्रम) व 01 अदद सफेद रंग का (ड्रम) पाया गया। उक्त बरामदशुदा दसों पीपा(ड्रम) को कब्जा पुलिस लिया गया तथा सभी के ढक्कनों को खोलकर मौके पर चैक किया गया तो उसमें पारदर्शी सफेद तरल द्रव बरामद हुआ जिसे मौके पर खुद सूंघकर व हमराहियान को सुंघाकर देखा गया तो उसमें से सिरके/अम्लीय जैसी तीक्ष्ण गंध आ रही है। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उक्त पदार्थ का प्रयोग क्रूड/मर्फीन को बनाने में किया जाता है। तत्सयम मौके पर इलेक्ट्रोनिक काटा मौजूद नहीं था जिससे कि मौके पर क्षेत्राधिकारी महोदय के समक्ष अन्य कार्यवही की वीडियो ग्राफी धारा 103 बीएनएसएस के तहत की गयी तथा अन्य कार्यवाही के निर्देश देते हुए राजकीय कार्य सरकार हेतु मौके से रवाना हुए। तत्पश्चात विवेचना किट में मौजूद इलेक्ट्

इलेक्ट्रोनिक कांटा हे0का0 दिनेश को भेजकर मंगवाया गया तथा मौके पर बरामद पीपा (ड्रम) को बारी-बारी तौलकर उस प्रदर्श पी-01 वजन(59.75kg) व पी-02 वजन(59.75 kg) पी-03 वजन (62.55kg) पी-04 वजन (65.05kg) पी-05 वजन(63.25kg) पी-06 वजन (65.30kg)पी-07 वजन (60.80kg) पी-08 वजन (67.80kg) पी-09 वजन (61.75kg) पी-10 वजन (62.65kg) जिसका कुल वजन 628.65 कि0ग्रा0 मय पीपी (ड्रम) पायी गयी। बरामदशुदा पीपा (ड्रम) के ढक्कन को बंद करके सील सर्वे मुहर किया गया व बरामद शुदा पीपा(ड्रम) को बंद बॉडी कनंटेनर से उतरवाया गया तथा जरिये उचित माध्यम से थाना कैलादेवी परिसर भिजवाया गया तथा कंटेनर में पहले से मौजूद एयर कंडीशन डेक्कन कंपनी के कार्टून लदे पाये गये जिसके सबंध में ड्राईवर राजपाल उपरोक्त से लदे हुए डेक्कन एसी के बिल इनवॉइस तथा वैध प्रपत्र तथा ड्राईविंग लाईसेंस व गाडी के प्रपत्र मांगे गये तो उसके द्वारा इनवॉइस बिल और वैध प्रपत्र व ड्राईविंग लाईसेंस व गाडी से संबंधित प्रपत्र आर सी न0-UP25DT3325 जो GUALATI Packers & Movers Add. NH 24 Rampur Road near BPCL swale nager qila Bareilly Uttar Pradesh Pin 243001 Engine No. E624CDKA259869 Chassis No.-MC2T1RRF0KA014935 पाया गया है। है। कुछ देर बाद गाडी से एसी के इनवॉसी बिल दिखाये गये। इनवॉइस बिल के अवलोकन से CIN N0-U60232RJ2022PTC083521 GISTIN N0-08ABJCS3059G1Z4, PAN-ABJCS3059G SHREE CARGO MOVERS PVT. LTD. Shop no G186,

opp. Parle School, Shree Ram Plaza-Neemrana (Alwar) Raj-301705. CONSIGNOR- M/s Daikin Ac India pvt. Ltd. Air of RBTC put Ltd. Neemrana, GST NO.- As per invoice, CONSIGNEE- Daikin Ac India pvt. Ltd. c/o shanker Log- Patna GST No- As Per Invoice, G.R. No. -26415 date-05.06.2026 vehicle UP25DT3325 from Neemrana To Patna. Pakages 200 Box Bill No.-2608019300 date 05.06.2026 Seal No. -021815 E-way bill No-731640298325 valid upto 12.06.2026 , weight 7350kg, carito Box-200 Freight, TO BE BILLED AT NEEMARANA Vehicle Type – 32SXL, -- Tax Invoice – Invoice No. -2608019300 date 05.06.2026 vechile No. UP25DT3325 Name & Address of Bayer (Billed to) Daikin Air conditioning India Pvt. Ltd. Air of shanker Logistic Pvt Ltd. Mahaveera Logistic Park Abbdulah Chowk sampatchawk Gaya Road Patna Bihar 10, Pin 800007 PAN-AABCD0971F GSTIN/UIN:10AABCD0971F1ZB S.N0. 1 – Part No. FTKM60XV16MAA description RA IDU(6.0KW,1.8 Ton,5 Star, Inv,) HSN/SAC code 84151010 total qty. 100.000 UOM No. Rate10,240.00 total value 1,024,000.00 taxable value 1,024,000.00 IGST Rate (%) -18.00 IGST Amount 184,320.00 ,, S.N0. 2 – Part No. RKM60XV16MAA description RA ODU(6.0KW,1.8 Ton, 5 Star,Inv,) HSN/SAC code 84151010 total qty. 100.000 UOM No. Rate 26,280.00 total value 2,628,000.00 taxable value 2628000.00 IGST Rate (%) -18.00 IGST Amount 473,040.00 दिखाया गया तथा अभियुक्त गण से बरामद मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त बंद बॉडी कंटेनर ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP25 DT3325 को धारा 60 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कब्जा पुलिस लिया गया। पकड़े गये अभियुक्तगणों से मादक पदार्थ रखने तथा परिवहन करने का लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने में क़ासिर रहें। अभियुक्तगणों को उनके जुर्म धारा 9(a)/25(a)/60 एनडीपीएस एक्ट से अवगत कराकर गिरफ्तारी का कारण बताया गया कि आप लोगो के कब्जे से इतनी भारी मात्रा में एसीटिक एनहाईड्राईड प्रीकर्सर जो कि एक कन्ट्रोल्ड सब्सटेंस है बरामद हुआ है से अवगत कराते हुए दिनांक 07.06.2026 समय 23.15 बजे घटनास्थल ग्राम रायपुर संभल-गवा मार्ग पर स्थित जियो पेट्रोल पम्प के सामने से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का संपूर्ण पालन किया गया, इस कार्यवाही के दौरान बीएनएस की धारा 105 के तहत सर्च एण्ड सीजर की कार्यवाही की वीडियोग्राफी मोबाईल फोन से की गयी व इसे पैनड्राईव में संपूर्ण कार्यवाही की वीडीयो क सुरक्षित किया गया व हैस वैल्यू निकाली

गयी। दौरान ए गिरफ्तारी व बरामदगी जनता के गवाह ढूंढने का भरसक प्रयास किया गया किन्तु रात्री व नावक्त होने के कारण जनता के कोई गवाह मिल नही सके। हिरासत में लिये गये चारों व्यक्तियों से बरामद शुदा समस्त माल को विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष ले जाकर एफएसएल के लिए परीक्षण हेतु नमूना माल नियमानुसार लिया जाएगा व धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही विवेचक द्वारा की जाएगी। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया गिरफ्तारी प्रपत्र रिकवरी मेमो तोल पर्ची व समस्त प्रपत्र मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर तैयार किये गये गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगणों के परिवारजनों को जरिये थाना जाकर अकब से दी जाएगी फर्द मौके पर ही पर्याप्त रोशनी में मुझ उ0नि0 द्वारा बोल बोल कर अक्षरांश म0आ0 रिजवाना से निजी लैपटॉप में टाईप करायी गयी व पैनड्राईव में डालकर का0 राजन कुमार को सरकारी वाहन से फर्द की प्रतियाँ निकलवाने हेतु थाना कैलादेवी रवाना किया गया। एसडी अंग्रेजी अपठित उ0नि0 सूरज सिंह, एसडी हिन्दी का0 मोहित एसडी हिन्दी म0का0 रिजवाना एसडी हिन्दी हे0का0 संगम पटेल, एसडी हिन्दी हे0का0 दिनेश सिंह, एसडी हिन्दी हे0का0 खालिद खाँ, एसडी हिन्दी का0 राजन कुमार एसडी हिन्दी सौरभ चौधरी, एसडी हिन्दी राजपाल , एसडी हिन्दी शोएब,नि0अं0 नाजिम, नि0अं0 मदनपाल एसडी उ0नि0 रामकुमार, एसडी का0 राणा हिन्दी मै का01174 कपिलदेव प्रमाणित करता हूँ कि फर्द की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द सीसीटीएनएस पर टंकण की गई। विवेचक थानाध्यक्ष महोदय

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Police station Kailadevi **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 9454405131 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Police station Kailadevi
Rank SI (Sub-Inspector)
No. 9454405131

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से॰मी॰))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
3	पुरुष					

<u>रिपोर्ट जनपद संभल</u>

श्रीमान जी जनपद संभल से ऑपरेशनदहन के तहत अब तक विनिष्टीकरण किये गये मादक पदार्थो का विवरण निम्नवत है।

क्र0स0	कुल अभियोग	कुल माल किग्रा0	अनुमानित मूल्य	विनिष्टीकरण का दिनांक
1	24	42	8628000	22.04.2026
2	15	91.280	9372500	15.05.2026
3	10	1015.24	20828600	01.06.2026
4	20	12343.74	185498500	17.06.2026
कुल	**69**	**13492.26**	**224327600**	**-**

प्रभारी नारकोटिक्स सैल
जनपद सम्भल।

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–1
राज्य व्यापार कर विभाग

प्रेषक,

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर,
सचल दल चतुर्थ इकाई, मुरादाबाद ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद संभल ।

विषय- NCORD की जिला स्तरीय समिति की बैठक की सूचना के संबंध में ।

पत्रांक/ 61 /सहा0आयु0रा0क0स0द0 चतुर्थ ई0 मुरादाबाद/2026 -27/दिनांक– **18.06.2026**

महोदय,

आपके मौखिक निर्देशों अनुसार /आबकारी-2026/NCORD/बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आयोजित स्वापक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में नीति विषयक मामलों में सुधार के मकैनिज्म को विकसित किये जाने हेतु मासिक बैठक का कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या भेजे जाने के निर्देश दिये गये है । उक्त के क्रम में कार्यवत्त में उल्लिखित व्यापार कर (जी0एस0टी0) से संबंधित बिन्दुओं पर अनुपालनआख्या निम्नवत प्रेषित है –

इस इकाई द्वारा माह मई -2026 में 1180 वाहनों की जाँच की गई । जाँच में 11 वाहन दोषी पाए गए, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल का मूल्य 42.74 लाख रूपये के सापेक्ष रू0 21.12 लाख का कर/अर्थदण्ड जमा किया गया । वर्ष 2024-25 मे 324.2 लाख रूपये का कर/अर्थदण्ड जमा किया गया, जबकि वर्ष 2025-26 मे 376.6 लाख रूपये का कर/अर्थदण्ड जमा किया गया । उक्त वाहनों में से कोई भी वाहन मादक पदार्थ से सम्बन्धित नहीं था और न ही कोई जाँच के समय पाया गया। भविष्य में यदि कोई मादक पादर्थ से सम्बन्धित वाहन जाँच के समय पाया जाता है, तो तत्काल सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित कर दी जायेगी ।

उपरोक्त अनुपालन आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित ।

भवदीया,

(signature)

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर,
सचल दल चतुर्थ इकाई मुरादाबाद ।

बिन्दु संख्या–1 की अनुपालन आख्या

आबकारी विभाग

आबकारी विभाग के क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद सम्भल के राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों की चेकिंग गयी। अवैध मदिरा की तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही एवं रोड चेकिंग की गयी, जिसमे अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री नहीं पायी गयी। माह मई 2026 में उक्त कार्यवाही के दौरान 593 स्थानों पर छापे मारे गये तथा 95 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसमें 2528.60 ब.ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी। उक्त कार्यवाही में भी कोई अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थो के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	52	0

Excise Department

बिन्दु सं0–2

(क) जनपद में स्थित दवाइयों की दुकानों पर मनःप्रभावी औषधि एवं प्रतिबन्धित कफ सिरप की जॉच की जाये। यदि किसी दवाई की दुकान पर अनधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि पायी जाये तो अनाधिकृत मनः प्रभावी औषधि एवं प्रतिबन्धित कफ सिरप रखने व बिक्री करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। सभी दवा की दुकानों, चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टोल फ्री नं. 1933 के पोस्टर लगवाये जाये।

क.सं.	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

(ख) चिकित्सक द्वारा मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन में दिये जाने वाले मनःप्रभावी औषधि अधिकतम एक सप्ताह की लिखी जाये तथा मेडिकल स्टोर्स द्वारा ग्राहक से प्रिस्क्रिप्शन आई.डी. लेकर ही मनःप्रभावी औषधि की बिक्री की जाये तथा निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाये।

क.सं.	अस्पताल/अन्य डॉक्टर की संख्या	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/औषधि निरीक्षक)

अनुपालन आख्या   बिन्दु सं0–2

औषधि निरीक्षक, जनपद सम्भल द्वारा अपने पत्रांक एफएसडीए/ औनि/2026–27/25 दिनांक 19.06.2026 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जाँच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनः प्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जाये।

जनपद के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को व्हाट्सएप ग्रुप एवं व्यक्तिगत रूप से बैठक कर मनः प्रभावी औषधि का विक्रय नियमानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त **'एक युद्ध नशे के विरूद्ध'** एवं **'केवल प्रेस्क्रिप्शन पर दवाईयां'** के बैनर प्रतिष्ठानों पर लगाकर नशीले पदार्थों की बिक्री पर निरन्तर रोकथाम की जा रही है। सम्भल जनपद में निरन्तर सघन निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु निर्देशित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

'एक युद्ध नशे के विरूद्ध' अभियान के प्रति जागरूकता के अन्तर्गत जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संदेश के बैनर/पोस्टर मेडिकल स्टोर्स पर लगवाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। आम जनमानस को इस अभियान के प्रति जागरूक करते हुए अभियान में सहयोग करने की अपील की गयी।

मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ मरीज को विक्रय की जा रही है। क्रय/विक्रय बिल में कमी पाये जाने की दशा में निरीक्षण करते हुये औषधियो के क्रय/विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जा रही है।

क.स.	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिकी करने वालो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
1	05	विगत माह में किये गये निरीक्षणों में 05 फर्मों को कारण बताओं नोटिस तथा 04 फर्मों का निलम्बन करते हुए 01 फर्मों को चेतावनी आदेश सहायक आयुक्त (औषधि) मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा निर्गत किये गये।

अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या–2 (ख)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद सम्भल।

पत्रॉकः सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2026–27/ दिनॉक 20/06/2026

अध्यक्ष,
आई0एम0ए0 सम्भल एवं चन्दौसी
जनपद सम्भल।

विषयः– नारकोटिक्स औषधियों के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय सम्भल के पत्रॉक 53/56–100/आबकारी/सम्भल /कार्यवृत्त, मई 2026 के क्रम मे दिनॉक 29.05.2026 को आयोजित स्वापक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में नीति विषयक मामलो मे सुधार के मकैनिज्म को विकसित किये जाने हेतु मासिक बैठक के कार्यवृत्त मे कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ड्रग/8322/लखनऊ दिनॉक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। चिकित्सको द्वारा मरीजो को दिये जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन में अधिकतम एक सप्ताह की दवाई लिखी जाए एवं दवा की दुकानों और चिकित्सालयों पर टोल फ्री नं. 1933 के पोस्टर लगवायें जाये।

उक्त का कडाई से पालन किया जाए।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्भल।

पत्रॉकः सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2026–27/881-(01-03) तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्भल ।
2. जिला आबकारी अधिकारी, जनपद सम्भल।
3. जिला औषधि निरीक्षक, जनपद सम्भल।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्भल।

बिन्दु सं0–3

सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाऐं यथा गायत्री परिवार, ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत **''एक युद्ध नशे के विरूद्ध''** का प्रचार–प्रसार किया जाय। सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों/कालेज/ मेडिकल कालेज /महाविद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नशा मुक्ति का प्रचार–प्रसार एवं शपथ समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को नशे के विरूद्ध जागरूक करेंगे। सभी सम्बन्धित विभाग आयोजित कार्यक्रमों की फोटो आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल/आबकारी विभाग/गायत्री परिवार/ब्रहमकुमारी संस्था)

क.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	माह मार्च 2026 में आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल		
2	इन्टरमीडिएट		
3	डिग्री कालेज		
4	अन्य		
	योग		

बिन्दु संख्या–3 अनुपालन आख्या

समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी सम्भल, गायत्री परिवार एवं ब्रहमकुमारी प्रजापति द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	माह मार्च 2026 में आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल	1299	157959
2	इन्टरमीडिएट	21	3032
3	डिग्री कालेज	02	80
4	अन्य	04	1340
	योग	1326	162411

अनुपालन आख्या–3 (प्रजापिता ब्रहमकुमारी)

प्रजापिता ब्रहमकुमारी द्वारा ग्राम सुल्तानपुर, धीवर वारी, धनारी, में ग्रामीण को नशा मुक्ति के बारे में समझाते हुए, करीब 3 गावों में 300 ग्रामीणों ने इस अभियान का लाभ लिया, ब्रम्हाकुमारी आश्रम बहजोई मे भी आश्रम पर प्रोग्राम किया गया जिसमें योग के बारे में लोगों को समझाया और योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया।

अनुपालन आख्या–3 (प्रजापिता ब्रहमकुमारी)

सृष्टि-चक्र
WORLD-DRAMA WHEEL

गायत्री परिवार

बिन्दु संख्या–4

COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के तहत शत प्रतिशत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाये गये प्रत्येक ''बाल संसद'' एवं ''प्रहरी क्लब'' द्वारा अपने स्कूल/कालेज में ''एक युद्ध नशे के विरूद्ध'' आयोजित कार्यक्रमों में किये गये कार्यो का विवरण फोटो सहित प्रस्तुत किया जाय। माह में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार प्रारूप मे उपलब्ध कराये–

क.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	माह फरवरी 2026 में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद			
2	प्रहरी क्लब			
	योग			

मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल को निर्देशित किया गया है कि COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के तहत सम्बन्धित गठित समिति द्वारा एक अभियान चला कर कलेक्ट्रेट परिसर में पान, बीडी, सिगरेट व अन्य मादक पदार्थो का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही कर अर्थदण्ड जमा कराया जाये। आगमी बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक /बेसिक शिक्षा अधिकारी, /मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल)

बिन्दु सख्ंया–4 की अनुपालन आख्या

COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्भल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत ''एक युद्ध नशे के विरूद्ध'' का प्रचार प्रसार कराया गया। जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	माह मार्च 2026 में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों में प्रतिभाग/ शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद	1289	1289	156178
2	प्रहरी क्लब	1291	1291	156178
	योग	2580	2580	312356

महात्मा गाँधी मेमोरियल कॉलिज सम्भल

बिन्दु सख्या–4 की अनुपालन आख्या

बिन्दु सं.–5

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

(कार्यवाही औषधि निरीक्षक/प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल/ जिला आबकारी अधिकारी सम्भल)

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–5

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

''एक युद्ध नशे के विरूद्ध''
''नशा मुक्त भारत अभियान''
''नशे को ना जीवन को हाँ''

NCORD